न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 175/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/365

निर्णय दिनांक 30.06.2025

1. सरलादेवी पुत्री स्व. मालाराम (पत्नी भैराराम) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनेरू हाल कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. संतोषदेवी पुत्री स्व. मालाराम (पत्नी दामोदर) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनेरू हाल ऑडिट तहसील व जिला नागौर।

—वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनीगण के पिता मालाराम व मोहनराम, धूड़ाराम पुत्रगण कानीराम ब्राह्मण निवासीगण ग्राम धनेरू की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 394 तादादी 67 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 411 तादादी 53 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 649 तादादी 14 बीघा 12 बिस्वा वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा निहित रहा है। वादीगण के पिता मालाराम की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण के पिता मालाराम के वारिसानों में वादिनीगण व ख्यालू पत्नी, कमला, दुर्गा, द्रोपदी, बसंती, भंवरी पुत्रियां मालाराम व भागीरथ पुत्र मालाराम हुए। यह है कि वादिनीगण के पिता मालाराम की मृत्यु के बाद उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी विरासतन तौर पर जरिये इन्तकाल संख्या 653 दिनांक 08.06.1992 के द्वारा वादीगण व स्व. मालाराम के उपरोक्त वारिसानों के प्रत्येक के नाम बहिस्सा बराबर 1/27 हिस्सा के रूप में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 394 के नये खसरा नम्बर 469 तादादी 17.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 के नये खसरा नम्बर 488 तादादी 13.5400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 649 के नये खसरा नम्बर 770 तादादी 3.6900 हैक्टेयर कायम हो गये। उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादिनीगण के नाम वादिनीगण के पिता मालाराम की मृत्यु के बाद जरिये विरासतन इन्तकाल संख्या 653 के जरिये दर्ज हुई है। विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादिनी संख्या 1 का बोलता नाम सिरिया दर्ज कर दिया गया व वादिनी संख्या 2 का बोलता नाम गुड्डी दर्ज कर दिया गया। विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के समय आईडियों का (पहचान पत्रों का) चलन नहीं था इसलिए वादिनीगण से किसी प्रकार की कोई ID (पहचान पत्र) नहीं लिया गया और वादिनीगण का बोलता नाम क्रमशः सिरिया व गुड्डी दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी संख्या 1 का सही व दस्तावेजी नाम सरलादेवी है व वादिनी संख्या 2 का सही व दस्तावेजी नाम संतोषदेवी है । वादिनीगण अनपढ व ग्रामीण परिवेश का महिलाये है जिन्हें अपने घर, परिवार, समाज व गांव में सरलादेवी व संतोषदेवी के नाम से जाना व पूकारा जाता है वादिनीगण के पिता मालाराम की मृत्युपंरात विरासतन इन्तकाल संख्या 653 दर्ज करते समय वादिनी संख्या 1 का बोलता नाम सिरिया दर्ज कर दिया गया व वादिनी संख्या 2 का बोलता नाम गुड्डी दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनीगण के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादिनी संख्या 1 का सही नाम सरलादेवी व वादिनी संख्या 2 का सही नाम संतोषदेवी अंकित चला आ रहा है यानि वादिनीगण का सही व वास्तविक [illegible] क्रमशः सरलादेवी व संतोषदेवी है। वादिनीगण को जब उपरोक्त खसरान भूमि पर [illegible] बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

किया व इन्तकाल, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले दिनांक 02.05.2024 व 23.06.2024 को निकलवाई तो वादिनीगण को जानकारी हुई कि वादिनीगण के पैतृक खातेदारी के उपरोक्त खसरा नम्बर 469, 488 व 770 वाकेरोही धनेरू के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या का नाम गलत रूप से सिरिया पुत्री मालाराम अंकित कर रखा है तथा वादिनी संख्या 2 का नाम गुड्डी पुत्री मालाराम अंकित कर रखा है जबकि वादिनी संख्या 1 का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम सरलादेवी रहा है तथा वादिनी संख्या 2 का सही व प्रशासनिक नाम संतोषदेवी रहा है जिसको वादिनीगण राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाकर शुद्धि करवाने की अधिकारिणी है। वादिनी संख्या 1 का शुरू से ही नाम सरलादेवी चला आ रहा है तथा वादिनी संख्या 2 का शुरू से ही नाम संतोषदेवी चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड में सिरिया व गुड्डी अंकित हो गया है । वादिनीगण के अन्य तमाम दस्तावेजों में सरलादेवी व संतोषदेवी अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में सलादेवी व संतोषदेवी पुत्रियां मालाराम जाति ब्राहमण के नाम की अन्य कोई महिलाये नहीं है। वर्णित खसरान भूमि पर वादिनीगण का अपने पैतृक हक हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादिनीगण उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम सरलादेवी व संतोषदेवी अंकित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादिनीगण का गलत नाम क्रमशः सिरिया व गुड्डी अंकित होने के कारण वादिनीगण को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी.बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । वादगत खेत में वादिनीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादिनीगण ने दिनांक 12.06.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि हमारा नाम सरलादेवी व संतोषदेवी है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मुझ वादिनी संख्या 1 का नाम सिरिया अंकित कर दिया गया है तथा मुझ वादिनी संख्या 2 का नाम गुड्डी अंकित कर दिया गया है जबकि हमारे अन्य तमाम दस्तावेजात हमारे सही नाम सरलादेवी व संतोषदेवी अंकित चला आ रहा है उस हिसाब दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादिनीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादिनीगण के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । ऐसी स्थिति में वादिनीगण के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में वादिनीगण के नाम की शुद्धि होने से प्रतिवादी व अन्य सहखातेदारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। खेत खसरा नम्बर 469, 488, 770 वाकेरोही धनेरू में वादिनीगण का नाम सिरिया व गुड्डी गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने की वादिनीगण अधिकारिणी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादिनीगण को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादिनीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादिनीगण को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादिनीगण का नाम गलत अंकित होने से वादिनीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है । वादगत खेत वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर [illegible] से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वाादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे -

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
[illegible]गढ़ (बीकानेर)

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 469 तादादी 17.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 तादादी 13.5400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 770 तादादी 3.6900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का नाम गलत रूप से सिरिया पुत्री मालाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम सरलादेवी पुत्री मालाराम घोषित किया जावे व इसी प्रकार वादिनी संख्या 1 का नाम गलत रूप से गुड्डी पुत्री मालाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम संतोषदेवी पुत्री मालाराम घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे ।

(ख) कि वादगत खसरा नम्बर 469 तादादी 17.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 तादादी 13.5400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 770 तादादी 3.6900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे गलत नाम सिरिया की जगह सरलादेवी व गुड्डी की जगह संतोषदेवी अंकित किया जाकर दुरूस्ती किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे और उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादीनीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादीनीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीनीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 469 तादादी 17.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 तादादी 13.5400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 770 तादादी 3.6900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का नाम सिरिया पुत्री मालाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उसका शुद्ध नाम सरलादेवी पुत्री मालाराम एवं वादिनी संख्या 2 का नाम से गुड्डी पुत्री मालाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर शुद्ध नाम संतोषदेवी पुत्री मालाराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S)

उनवान

1. सरलादेवी पुत्री स्व. मालाराम (पत्नी भैराराम) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनेरू हाल कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. संतोषदेवी पुत्री स्व. मालाराम (पत्नी दामोदर) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धनेरू हाल ओंडिट तहसील व जिला नागौर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 175/2024

निर्णय दिनांकः30.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता रणवीर सिंह एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर सुन दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 469 तादादी 17.0000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 तादादी 13.5400 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 770 तादादीं 3.6900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड में वादिनी संख्या 1 का नाम सिरिया पुत्री मालाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर उसका शुद्ध नाम सरलादेवी पुत्री मालाराम एवं वादिनी संख्या 2 का नाम से गुड्डी पुत्री मालाराम अंकित हो रखा है उसके स्थान पर शुद्ध नाम संतोषदेवी पुत्री मालाराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0.........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें । बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 13:19:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ